बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

संबंद्धता (संशोधन) विनियमावली, 2016.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद् द्वारा प्रशासी विभाग द्वारा सम्पुष्टिकरण के अधीन रहते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) उपविधि का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाती है जिसका पूर्व प्रकाशन अधिनियम की धारा–17 के अधीन किया जा चुका है और इसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ –**

(i) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबंद्धता (उच्च माध्यमिक) (संशोधन) विनियमावली, 2016 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **उक्त विनियमावली, 2011 के विनियम–14 (5) का संशोधन :–**

(1) उक्त विनियमावली, 2011 के विनियम–14 के उपविनियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

(5) संबंद्धता समिति :– गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संबंद्धता देने तथा वापस लेने के लिए बोर्ड द्वारा एक संबंद्धता समिति का गठन किया जायगा। संबंद्धता समिति निम्नलिखित को मिलाकर होगी:–

(i) बोर्ड के अध्यक्ष

(ii) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार

(iii) सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

(iv) बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति

बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और बोर्ड के सचिव समिति के सचिव होंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 की धारा–10 (क) के तहत यदि बोर्ड अधिग्रहित हो तो बोर्ड के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति के अध्यक्ष के तरह कार्य सम्पादित करेंगे।

9/2/16

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

Bihar School Examination Board

Affiliation (Higher Secondary) (Amendment) Regulation, 2016

In exercise of power conferred under Section 17 of the Bihar School Examination Board Act, 1952 (as amended from time to time) The Bihar School Examination Board, Patna is hereby make the following regulations to amend The Bihar School Examination Board Affiliation (Senior Secondary) Regulation, 2011 subject to the confirmation of the Administration Department, the previous publication of which has been made under section 17 of the Act and any objection has not been received within thirty days from the date of its publication :-

1. Short title extent and commencement :-

(i) These Regulation shall be called Bihar School Examination Board Affiliation (Higher Secondary) (Amendment) Regulation, 2016.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) These Regulation shall come into force from the date of notification.

2. Amendment in Regulation-14 (5) of the said Regulation, 2011 :-

(1) Subregulation (5) of Regulation 14 of the said Regulation, 2011 shall be substituted by the following :-

(5) Committee of Affiliation :- A committee of affiliation shall be constituted by the Board for granting and withdrawing affiliation of Secondary and Senior Secondary School established by Non-government Oraganizations. The committee shall consist of following :-

(i) Chairman of the Board.

(ii) Director (Secondary Education), Education Department, Bihar

(iii) Secretary, Bihar School Examination Board.

(iv) A person to be nominated by Board.

The Chairman of the Board shall function as the Chairman of the committee and the Secretary of the Board shall function as Secretary of the Affiliation Committee.

When the Board is superseded under Section 10 A of Bihar School Examination Board Act, 1952, the Administrator appointed by notification for carrying out the function of the Board shall function as Chairman of the Committee.

Secretary
Bihar School Examination Board, Patna